भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 576

जिसका उत्तर 06.02.2025 को दिया जाना है

भारतमाला के अंतर्गत दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे

576.श्री मुरारी लाल मीनाः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतमाला परियोजना की कुल लम्बाई कितनी है और इस पर अनुमानत: कितना व्यय हुआ है और इसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है और इसके पूरा होने की अनुमानित समय-सीमा क्या है;

(ख) क्या भारतमाला परियोजना के भाग के रूप में राजस्थान से होकर गुजरने वाली दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के अंतर्गत बनाई गई सड़क की गुणवत्ता घटिया है और क्या इसके संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं,

(ग) यदि हां, तो इस खंड पर निर्माण की खराबियों/खराब गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार निर्माण कंपनियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार लाने और सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) भारत सरकार द्वारा भारतमाला परियोजना के तहत देश भर में 34,800 किलोमीटर की लंबाई को कवर करने की मंजूरी दी गई थी। 31 दिसंबर, 2024 तक 26,425 किलोमीटर लंबाई की परियोजनाएं सौंपी गई हैं, जिनमें से 19,201 किलोमीटर लंबाई का निर्माण किया जा चुका है। भारतमाला परियोजना के तहत परियोजनाओं के पूरा होने की अनुमानित समय-सीमा वित्तीय वर्ष 2027-28 है। भारतमाला परियोजना के तहत मंत्रालय द्वारा अपनी निष्पादन एजेंसियों को कोई अलग से आवंटन नहीं किया जाता है । तथापि, भारतमाला परियोजना सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए बजटीय आवंटन पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान का विवरण अनुबंध में है ।

(ख) से (घ) दिल्ली - वडोदरा - मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण मानकों और विनिर्देशों के अनुसार किया जा रहा है। एक्सप्रेसवे के दिल्ली-वडोदरा (डीवीई) खंड में, स्टोन मैस्टिक डामर (एसएमए) के बिछाने वाले कोर्स के साथ सतत फुटपाथ के संदर्भ में एक नई तकनीक शुरू की गई है जिसमें निर्माण के दौरान कुछ हिस्सों में कुछ कमियां हुई हैं। इसके अलावा, मानसून में भारी बारिश के कारण एक्सप्रेसवे के सोहना-दौसा खंड के कुछ स्थानों पर नुकसान हुआ है, जिसे यातायात के लिए खोल दिया गया है। सोहना-दौसा-लालसोट खंड के लिए स्थायी उपचारात्मक उपायों के लिए, आईआईटी, खड़गपुर के माध्यम से फुटपाथ की जांच की गई है। जांच के शुरुआती निष्कर्षों के अनुसार, एसएमए परत की गुणवत्ता में कुछ कमियां पाई गई हैं। क्षतिग्रस्त एसएमए परत के हिस्सों को ईपीसी ठेकेदारों द्वारा अपने स्वयं के खर्च पर फिर से बिछाया जाना है। इस बीच, संबंधित ठेकेदार द्वारा रखरखाव के आदेश और 10 वर्ष की दोष देयता अवधि के अनुसार, जैसा कि अनुबंध समझौते में परिकल्पित है, अपने स्वयं के खर्च पर सुधार कार्य किया जा रहा है और इस खंड को यातायात के योग्य स्थिति में बनाए रखा जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, संबंधित ठेकेदारों यानी मैसर्स एपीसीओ, मैसर्स सीडीएस इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड, मैसर्स केसीसी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स गावर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। अंतिम जांच रिपोर्ट के आधार पर, अनुबंध समझौते के प्रावधानों के अनुसार ठेकेदारों और पर्यवेक्षण सलाहकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, क्षेत्र में निगरानी के लिए जिम्मेदार एनएचएआई अधिकारियों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। जांच के नतीजे के आधार पर अंतिम कार्रवाई की जानी है।

अनुबंध

'भारतमाला के अंतर्गत दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे' के संबंध में श्री मुरारी लाल मीना द्वारा 06.02.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 576 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध ।

समग्र - राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार व्यय													
													राशि करोड़ रुपये में
क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25 (31.12.2024 तक)	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	आंध्र प्रदेश	6,618	6,618	4,281	4,281	5,890	5,890	6,957	6,957	11,440	11,440	8,844	7,833
2	अरुणाचल प्रदेश	1,710	1,710	2,512	2,512	2,718	2,718	3,140	3,140	2,649	2,649	3,295	1,836
3	असम	2,436	2,436	3,753	3,753	3,150	3,150	4,557	4,557	9,137	9,137	4,604	4,329
4	बिहार	4,392	4,392	6,716	6,716	9,174	9,174	9,347	9,347	10,749	10,749	6,159	5,599
5	छत्तीसगढ	1,653	1,653	2,224	2,224	1,936	1,936	2,468	2,468	4,255	4,255	1,328	902
6	गोवा	977	977	734	734	615	615	673	673	620	620	782	372
7	गुजरात	5,102	5,102	7,533	7,533	10,710	10,710	9,831	9,831	10,900	10,900	5,641	5,214
8	हरियाणा	6,721	6,721	10,651	10,651	7,203	7,203	3,924	3,924	6,062	6,062	2,860	2,745
9	हिमाचल प्रदेश	1,238	1,238	2,033	2,033	3,164	3,164	4,534	4,534	5,175	5,175	2,833	2,578
10	झारखंड	2,312	2,312	2,627	2,627	2,853	2,853	3,127	3,127	4,599	4,599	3,848	3,491
11	कर्नाटक	7,860	7,860	5,838	5,838	7,681	7,681	6,763	6,763	12,695	12,695	8,518	7,026
12	केरल	1,265	1,265	12,831	12,831	10,136	10,136	3,994	3,994	10,419	10,419	2,349	2,267
13	मध्य प्रदेश	6,429	6,429	8,250	8,250	9,006	9,006	6,210	6,210	7,447	7,447	5,381	4,794

14	महाराष्ट्र	24,166	24,166	20,844	20,844	18,655	18,655	18,355	18,355	19,867	19,867	14,930	12,563
15	मणिपुर	1,180	1,180	978	978	2,142	2,142	2,737	2,737	2,598	2,598	1,350	1,336
16	मेघालय	901	901	861	861	819	819	684	684	1,803	1,803	912	862
17	मिजोरम	1,252	1,252	1,238	1,238	2,054	2,054	3,218	3,218	2,189	2,189	989	927
18	नगालैंड	1,003	1,003	2,382	2,382	1,943	1,943	1,666	1,666	1,414	1,414	1,117	932
19	ओडिशा	3,355	3,355	5,336	5,336	4,510	4,510	4,643	4,643	5,948	5,948	4,555	3,818
20	पंजाब	2,777	2,777	3,301	3,301	7,179	7,179	10,093	10,093	12,419	12,419	6,656	6,255
21	राजस्थान	6,515	6,515	7,340	7,340	11,353	11,353	9,719	9,719	8,874	8,874	4,997	4,481
22	सिक्किम	286	286	1,053	1,053	811	811	1,008	1,008	684	684	335	286
23	तमिलनाडु	5,757	5,757	4,868	4,868	4,305	4,305	8,230	8,230	9,925	9,925	6,544	6,064
24	तेलंगाना	3,048	3,048	2,907	2,907	3,458	3,458	3,622	3,622	6,117	6,117	6,325	5,336
25	त्रिपुरा	175	175	1,026	1,026	1,085	1,085	1,156	1,156	1,546	1,546	459	444
26	उत्तर प्रदेश	13,375	13,375	18,768	18,768	13,944	13,944	21,453	21,453	28,114	28,114	15,598	13,378
27	उत्तराखंड	2,940	2,940	2,800	2,800	2,112	2,112	3,219	3,219	4,545	4,545	3,049	2,628
28	पश्चिम बंगाल	2,665	2,665	2,658	2,658	3,642	3,642	3,053	3,053	3,543	3,543	1,847	1,355
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	267	267	349	349	246	246	143	143	96	96	111	111
30	चंडीगढ़	0	0	2	2	6	6	1	1	0	0	0	0
31	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	43	43	30	30	26	26	2	2	100	3
32	दमन और दीव	0	0										

33	दिल्ली / मुख्यालय	-743	-743	-1,482	-1,482	3,961	3,961	7,164	7,164	3,223	3,223	2,284	2,265
34	जम्मू और कश्मीर	2,256	2,256	2,932	2,932	6,817	6,817	7,370	7,370	10,528	10,528	7,044	6,421
35	लद्दाख	0	0	24	24	352	352	574	574	658	658	697	646
36	पुदुचेरी	1	1	21	21	1	1	61	61	35	35	28	20

आबंटन - आवंटन; व्यय - व्यय

वर्ष के दौरान राज्य के संबंध के ऋणात्मक आंकड़ा उस राज्य से अन्य राज्य को परियोजना/व्यय के हस्तांतरण को इंगित करता है।

*****